an>

Title: Regarding unregulated Deposit Schemes.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा):अध्यक्ष महोदया, मैं जिस इलाके से आता हूं, उस इलाके में चिट फंड कह लीजिए, अनरेग्यूलेटेड डिपोजिट कह लीजिए या पोंजी स्कीम कह लीजिए, उससे हम लोग ग्रसित हैं। चाहे रोज वैली स्कैम हो, शारदा स्कैम हो, चाहे बासिल हो। तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर वे हमारे यहां डिपोजिट ले रहे हैं। वर्ष 2011 में बंगाल में एक सरकार बन जाने के कारण "जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का" इस वजह से बहुत तेजी से ये चिट फंड कम्पनियां बढ़ीं। आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से पालिटीशियन, ब्यूरोक्रेट्स और पत्रकार मिलकर इस कम्पनी को बढ़ाते हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए कि नारदा और शारदा घोटाले में जब राजनेताओं को सीबीआई बुलाती है, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद जेल चले जाते हैं या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन यदि एक ब्यूरोक्रेट, जिसकी नाभी में सारी जानकारी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गणेश सिंघानिया के यहां रेड होती है, तृणमूल कांग्रेस की जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, उनके भतीजे जो सांसद हैं, उनके बारे में जानकारी होती है, उसे छुपाने के लिए, केवल राज को छुपाने के लिए, सांसद के लिए कभी परेशानी नहीं हुई, कभी वे धरना पर नहीं बैठीं और आज एक ब्यूरोक्रेट के लिए धरने पर बैठीं। यह कितना बड़ा तार है, आप इसे देख सकती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जितनी चिट फंड कम्पनियां हैं, उसमें से गणेश सिंघानिया के यहां जो रेड हुई है, जो अनरेग्युलेटेड स्कीम के सारे पैसे जो तृणमूल कांग्रेस के मुख्य मंत्री और उनके रिश्तेदारों का है, इसकी सीबीआई इन्क्वायरी हो, उन्हें जेल भेजा जाए और इन कम्पनियों को बैन किया जाए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री शरद त्रिपाठी,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल,

श्री शिव कुमार उदासि,

श्री देवजी एम. पटेल,

श्री गणेश सिंह,

डॉ. संजय जायसवाल

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

डॉ. किरिट पी. सोलंकी और

प्रो. रिचर्ड हे को श्री निशिकांत दुबे द्वारा

उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।